13वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना बुधवार, दिनांक 29 जून 2016

Notice for 13th Annual General Meeting

Wednesday, June 29, 2016



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उहाम

एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005) (Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

विषय-सूची

INDEX

नोटिस	3	Notice	10
नोट्स	5	Notes	12
व्याख्यात्मक कथन	9	Explanatory Statement	16
प्रॉक्सी फार्म	17	Form of Proxy	18
उपस्थिति पर्ची/ प्रवेश/ बैलट पेपर पास	19	Attendance Slip/ Entry/ Ballot Paper Pass	20

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें

IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम /Events	तारीख /Date
ई-वोटिंग अवधि	26 जून 2016 को सुबह 9.00 बजे से 28 जून 2016 को सायं 5.00 बजे तक
E-Voting period	From 9.00 a.m 26 th June, 2016 to 5.00 p.m 28 th June, 2016
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फार्म उ	
संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख	ά.
Last date for receipt of Proxy forms and resolutions t	or 24 th June, 2016 by 5.00 p.m
appointing authorized representatives	
वार्षिक साधारण बैठक की तारीख, समय और स्थान	बुधवार, 29 जून 2016 को प्रात: 10.00 बजे
	अप्पासाहेब जोग सभागृह,
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
	प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल',
	1501, शिवाजीनगर,
	पुणे-411 005
Data time and vanue of Annual Canaral Meeting	Wednesday, 29th June, 2016 at 10.00 a.m
Date, time and venue of Annual General Meeting	Appasaheb Joag Hall,
	Bank of Maharashtra,
	Lokmangal, 1501 Shivajinagar,
	Pune-411005



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की **तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक** बुधवार दिनांक 29 जून, 2016 को सुबह 10.00 बजे अप्पासाहेब जोग हॉ ल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतू होगी:

सामान्य व्यवसाय:

मद क्रमांक 1

31 मार्च 2016 के लिए बैंक के तुलनपत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखों और तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना.

विशेष व्यवसाय:

मद क्रमांक 2

एफपीओ/राइट्स ईश्यू/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

निम्नलिखित प्रस्ताव(वों) को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (विनियम), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक (**आरबीआई**), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (**सेबी**) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड **(सेबी)** की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और बैंककारी विनियमन अधिनयम 1949, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू क़ानूनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथासंशोधित/अद्यतन दिशानिर्देशों, यदि कोई हों और सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन, एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "**बोर्ड**" कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई समिति जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर ₹10∕ - प्रत्येक के अंकित मृल्य के, समग्र रूप से जो ₹ 1,000 करोड़ (एक हजार करोड़ रुपए मात्र) से अधिक न हों, इक्विटी शेयरों का (फर्म आबंटन के लिए और/अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत्य श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करेगा, ताकि हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% भारत सरकार के पास हो, चाहें वे बाजार मूल्य के प्रीमियम पर किसी एक या अधिक टेंच, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("**एनआरआई**"), कंपनियों- निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, के लिए में, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों "(एफआईआई)", बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इक्विटी शेयरों / प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों, या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी मिश्रण के रूप में हों.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम अथवा आबंटन या तो सार्वजनिक निर्गम, अधिकार शेयर, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIPs) या तत्संबंधी मिश्रण अनुसार या अधिआवंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2009 ("आईसीडीआर विनियम") और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धित से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों (underwriters) और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशक(कों), चाहें वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमतें तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होंगी.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2004 के प्रावधानों, आईसीडीआर (ICDR) विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के निवासी द्वारा जारी या हस्तांतिरत निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों और आवश्यक अनुमोदनों, सहमितयों, अनुमितयों और/या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयर बाजारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी आई पी पी), वाणिज्य मंत्रालय और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) से अपेक्षित अनुमोदन, सहमित, अनुमित तथा/अथवा मंजूरी (इसके बाद जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेंच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट, जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में उल्लिखित है, के तहत प्लेसमेंट दस्तावेज़/ लेखन / पिरपत्र / ज्ञापन और ऐसी पद्धित से और ऐसी कीमत पर, और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में परिभाषित किए अनुसार) के लिए वारंट को छोडकर, इक्विटी शेयर



या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% से कम हिस्सा न हो.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में -

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभृतियों के आबंटन को इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा.
- ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक, विनियमों के अनुसार अधिकृत आधार मूल्य में अधिक से अधिक पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर खरीदने की पेशकश कर सकता है.
- ग) प्रतिभृतियों के आधार मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमित, अनुमित तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथालागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयर, यथासंशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्गम या इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निर्देशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम का प्रीमियम तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजनिक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, किटनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तों जोड़ने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स)/ अग्रणी प्रबंधक(कों)/हामीदार(रों)/बैंकर(रों)/निक्षेपक(कों)/ रिजस्ट्रार(रों),लेखापरीक्षक(कों) और इक्विटी शेयरों / प्रितभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापन, दस्तावेजों, आदि को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों हामीदारों (underwriters), अन्य सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्द्वारा निर्गम(निर्गमों) के स्वरूप और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सिहत जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित होने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो सिहत), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/वारंट/प्रतिभूतियों को जारी करने/परिवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अवधि, परिवर्तित, उन्मोचित या निरस्तिकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/परिवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित मामले, भारत और/अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझें, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनिभदत्त इक्विटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे, और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत्य हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने/प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमित प्रदान की है, सभी दस्तावे. जो व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है.



यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्द्वारा उसे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु उचित समझे, यहां प्रदत्त किन्हों या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

निदेशक मंडल के आदेशानसा

(एस. मुहनोत) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 1 जून 2016 स्थान : पुणे

नोट्स:

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

शेयरधारक जो वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र है वह अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी (बैंक के कर्मचारी या अधिकारी को छोड़कर) की नियुक्ति कर सकता है तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी की लिखत प्रदान करने वाले व्यक्ति को उस बैठक में व्यक्तिश: वोट करने का अधिकार नहीं होगा जिस बैठक से वह लिखत संबंधित हो. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह इस नोटिस के अनुलग्नक फॉर्म "बी" में न हो.

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक (निवेशक सेवाएं), प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पते पर बैठक के दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2016** को बैंक के कार्य समापन समय अर्थात सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता, जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो. संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए जिसमें वह पारित किया गया हो तथा वह बैंक के प्रधान कार्यालय में ऊपर दिए गए पते पर वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से न्यूनतम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2016 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा की जानी चाहिए.

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची-सह-बैलट पेपर पर्ची (उपस्थिति पर्ची):

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची-सह-बैलट पेपर पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न है. शेयरधारकों को ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म का उपयोग कर अपने वोट देने का विकल्प उपलब्ध है. यदि उन्होंने ई-वोटिंग सुविधा नहीं ली है तो वे वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक को बैठक स्थल पर निर्वाचन में अपना वोट दे सकते हैं. ऐसे शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में मुद्रित ब्यौरों की जांच करें और रिक्त स्थानों, यदि कोई हैं, की पूर्ति करें और उसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची बैठक के स्थान पर देने की कृपा करें. प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची पर "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जो भी स्थिति हो, उसका उल्लेख करें. बैलट पेपर पर्ची /प्रवेश पर्ची निर्वाचन के समय बैलट पेपर प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की जाए.

वे शेयरधारक जिन्होंने पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे बैठक में उपस्थित रह सकते है किंतु वे बैठक में मतदान करने हेतु पात्र नहीं रहेंगे.

4. बहियों का बंद होना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही **गुरुवार, दिनांक 23 जून 2016 से बुधवार, 29 जून 2016** (दोनों दिन मिलाकर) तक वर्ष 2015-16 के लिए तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य के लिए बंद रहेंगे.

5. अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश, यदि कुछ हो:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनयम, 1970 की धारा 10बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधित) अधिनयम 2006 (जो दिनांक 16.10.2006 से लागू हुआ) के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अविध तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनयम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनयम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधी" (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी और तत्पश्चात बैंक या आईईपीएफ के प्रति इस संबंध में लाभांश के भुगतान हेतू कोई दावा शेष नहीं रहेगा.

तदनुसार उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 से अदत्त / अदावाकृत रही लाभांश की ऐसी सभी राशियों को "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधी" (आईईपीएफ) को अंतरित किया गया है. वर्ष 2008-09 के लिए अदत्त/ अदावाकृत शेष रहे लाभांशों का अंतरण आगामी वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक से 90 दिनों के भीतर उक्त निधि में कर दिया जाएगा.



जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों (वर्ष 2008-09 से आगे) के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से या निम्नलिखित पते पर पुणे में बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क करें:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,

(इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र), आफिस क्रमांक 002, तल मंजिल काशीराम जमनादास बिल्डिंग,

5, पी.डिमेलो रोड़

मस्जिद (पूर्व), मुंबई - 400 009 फोन: (022) 40206022/23/24

ई-मेलः mcssta.mumbai@gmail.com

बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर

पुणे - 411 005 फोन: (020) 25511360

ई-मेल - investor services@mahabank.co.in

6. बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कोई लाभांश अनुशंसित नहीं किया है।

7. शेयरधारकों से अनुरोध:

कृपया नोट करें कि जिन शेयरधारकों ने बैंक/ आरटीए में अपने ई-मेल आई-डी पंजीकृत नहीं किए हैं उन्हें वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर की सेवाओं का उपयोग कर अलग से भेजी गई हैं और जिन शेयरधारकों ने बैंक / आरटीए में अपने ई-मेल आई-डी पंजीकृत किए हैं उन्हें ई-मेल द्वारा उनके ई-मेल आईडी पर सॉफ्ट प्रतियां भेजी गई हैं. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाईट <u>www.bankofmaharashtra.in</u> पर भी प्रदर्शित की गई है. वार्षिक साधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आएं.

- क. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि पते में कोई बदलाव हो तो कृपया वैध दस्तावेजी साक्ष्यों और समुचित रूप से हस्ताक्षरित सामान्य अनुरोध आवेदन के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को सूचित करें.
- ख. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि पते में कोई बदलाव हो तो कृपया केवल अपने निक्षेपी सहभागी को सूचित करें न की बैंक या बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को.
- ग. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के रिजस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से किसी भी प्रकार के संप्रेषण में अपने संबंधित फोलियो क्रमांक/क्रमांकों (भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक) और अपने संबंधित डीपीआईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक) का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें.

8. फोलियो का समेकन:

एक से अधिक फोलियो/ खाते के अंतर्गत नामों के समरूप क्रम में भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाणपत्र सिहत ऐसे खातों के लेजर फोलियो सूचित करें तािक वो सभी धारिताओं को एक खाते में समेकित कर सके. आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात शेयरधारकों को शेयर प्रमाणपत्र यथासमय वापस कर दिए जाएंगे.

9. भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना:

भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक अपने शेयरों को डी-मैट रूप में बदल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित निक्षेपी सहभागी से संपर्क करना होगा जिसके पास उनके डी-मैट खाते हैं.

10. अंतरणों का प्रस्तुतीकरण:

अंतरण विलेख/विलेखों सहित शेयर प्रमाणपत्र बैंक के रजिस्टार व शेयर अंतरण एजेंट को अग्रेषित किए जाने चाहिए.

11. स्थिति में बदलाव दर्ज करना:

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित की सूचना दें -

- क. स्थायी निवास के लिए भारत वापस आने पर निवास पते में बदलाव
- ख. पूरे नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता क्रमांक और पिन सहित बैंक के पते के साथ भारत के बैंक खाते के विवरण, यदि पहले प्रदान न किए गए हों.

12. मतदान का अधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के **दस प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का** इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा.

उक्त के अधीन विनियमों के विनियम 68 के अनुसार केंद्र सरकार को छोड़कर प्रत्येक शेयरधारक जो कि निर्दिष्ट दिनांक **अर्थात बुधवार, दिनांक 22 जून 2016** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हुआ है उसे ई-वोटिंग/ निर्वाचन की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा.

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रजिस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में भाग लेने का अधिकार तथा कार्यसूची की मदों पर ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा बैठक में मतदान करने का अधिकार रहेगा.



13. वोटिंग:

क. वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के लिए अंतिम दिनांक कार्यसूची मदों के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों की गणना बुधवार, दिनांक 22 जून, 2016 से की जाएगी.

ख. रिमोट ई-वोटिंग:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नेटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय प्रित्भूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) को ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है. मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रटरीज, मुंबई को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है. रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है. निर्दिष्ट दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डी-मैट रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे. रिववार, दिनांक 26 जून 2016 को सुबह 9.00 बजे से मंगलवार, दिनांक 28 जून 2016 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा.

- रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धित निम्नानुसार है:
 - (क) ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें -
 - (i) निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर लांच करें https://www.evotingindia.com/
 - (ii) शेयरहोल्डर <u>लॉग-इन</u> पर क्लिक करें
 - (iii) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें.
 - क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी.
 - ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी.
 - ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें.
 - (iv) अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें.
 - (v) यदि आपने अपने शेयर डी-मैट रूप में धारित किए हैं और <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है.
 - (vi) यदि आप पहली बार युजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

	डी-मैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन * प्रविष्ट करें (डी-मैट शेयरधारकों के साथ भौतिक शेयरधारकों पर लागू)
	 जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले 2 अक्षरों का तथा अनुक्रम क्रमांक के 8 अंकों का उपयोग करें.
	 यदि अनुक्रम क्रमांक 8 अंकों से कम है तो बड़े अक्षरों में नाम के पहले 2 अक्षरों के पश्चात क्रमांक से पूर्व लागू संख्या में शून्य प्रविष्ठ करें. उदाहरण यदि आपका नाम रमेश कुमार है और आपका अनुक्रम क्रमांक 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 प्रविष्ठ करें.
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक	लॉग-इन करने के लिए बैंक/आरटीए के अभिलेख में या आपके डी-मैट खाते में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (dd/mm/yy प्रारूप में) प्रविष्ट करें.
(डीओबी)	यदि डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया अनुदेश (iv) में उल्लेख किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें.

- (vii) ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "सबिमट" टैब पर क्लिक करें.
- (viii) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे. तथापि, डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है. कृपया नोट करें कि डी-मैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो.



- यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें.
- (ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं.
- (x) आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <BANK OF MAHARASHTRA> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें.
- (xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हां/नहीं" विकल्प होंगे. आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें. विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सम्मति देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं.
- (xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो "रिजॉल्यूशन फाइल" लिंक पर क्लिक करें.
- (xiii) जिस संकल्प पर वोट करने का आपने निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात "सबिमट" पर क्लिक करें. एक पुष्टि (कन्फर्मेशन) बॉक्स प्रदिशत होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट में परिवर्तन करने के लिए "कैन्सल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें.
- (xiv) एक बार संकल्प पर अपना वोट "कन्फर्म" करने के पश्चात आपको अपने वोट में संशोधन की अनुमित नहीं होगी.
- (xv) आप वोटिंग पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक कर किए गए वोटों को मुद्रित भी कर सकते हैं.
- (xvi) यदि कोई डी-मैट खाताधारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल जाता है तो अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें, छवि सत्यापन (इमेज वेरि-फकेशन) कृट प्रविष्ट करें और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा प्रदर्शित किए अनुसार ब्यौरे प्रविष्ट करें.
- (xvii) गैर वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट:
 - क) गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि को छोड़कर) और अभिरक्षकों से अनुरोध है कि www.evotingindia.com पर लॉग-इन करें और स्वयं को कॉर्पोरेटस के रूप में पंजीकृत करें.
 - ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर ई-मेल की जाए
 - ग) लॉग-इन डिटेल प्राप्त होने के पश्चात एडिमन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए.कम्प्लायन्स यूजर उस खाते(खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं.
 - घ) लॉग-इन लिंक खातों की सूची <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे.
 - ड) बोर्ड रिजॉल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए.
- (ख) यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका है या मुद्दा है तो आप <u>www.evotingindia.com</u> पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को ई-मेल कर सकते हैं.
- (ग) कोई व्यक्ति जो नोटिस प्रेषित करने के बाद बैंक के शेयर खरीद लेता है और बैंक का शेयरधारक बन जाता है और जो नियत दिनांक अर्थात 22 जून 2016 को शेयर धारित करता है तो वह शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (आरटीए)/ बैंक को या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आई-डी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास पंजीकृत हैं तो आप अपना मत देने के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगॉट यूजर डीटेल/ पासवर्ड" का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या टोल फ्री क्रमांक 1800-200-5533 पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) से संपर्क कर सकते हैं.
- (घ) ई-वोटिंग के लिए पोर्टल रिववार दिनांक 26 जून 2016 को सुबह 9.00 बजे से मंगलवार दिनांक 28 जून 2015 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा और इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
- (ड) शेयरधारक ई-वोटिंग संबंधी नवीनतम अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाईट <u>www.bankofmaharashtra.in</u> के निवेशक सेवाएं लिंक को देख सकते हैं.



ग. वार्षिक साधारण बैठक में मतदान प्रक्रिया:

रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही वार्षिक साधारण बैठक में मतदान द्वारा कार्यसूची मदों पर वोटिंग की जाएगी. जिन व्यक्तियों ने रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प लागू नहीं किया है वे बैठक के दिनांक को वार्षिक साधारण बैठक के स्थल पर आयोजित मतदान में सहभाग लेने और मत देने हेतु पात्र होंगे. बैलट पेपर वार्षिक साधारण बैठक के स्थल पर जारी किए जाएंगे.

घ. मतदान में संवीक्षक:

वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग प्रक्रिया के लिए अन्य शेयरधारकों के साथ मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव, मुंबई संवीक्षक का कार्य करेंगे.

ङ ई-वोटिंग और मतदान का परिणाम

वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जारी किया जाएगा. ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे.

व्याख्यात्मक कथन

मद क्र. 2 : एफपीओ/राईट ईश्यू/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से इक्विटी पूंजी की उगाही

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को बेसल III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों का न्यूनतम 11.50% सीआरएआर बनाए रखना है और अतिरिक्त शर्त के साथ इस न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी सीईटी 1 को 5.50%होना चाहिए. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैकों को मार्च 2016 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) प्रदान करना चाहिए और पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी 1) के रूप में होना चाहिए. पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)/ सामान्य इक्विटी पूंजी सीईटी 1 की अतिरिक्त अपेक्षाओं के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु बैंक ने 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹ 1,000/- करोड़ की पूंजी आवश्यकता का अनुमान लगाया है.
- (ii) बैंक ने आवश्यक पूंजी सहायता के लिए इस आवश्यकता को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है. बैकअप प्रबंध के रूप में बैंक ने अन्य विकल्प जैसे कि एफपीओ/राईट ईश्यू/ क्यूआईपी जैसे अन्य विकल्प इस पूंजी आवश्यकता की पूर्ति हेतु खुले रखे हैं. इन विकल्पों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और विद्यमान बाजार स्थितियों के अनुसार किया जाएगा.
- (iii) भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुमोदन एवं सेबी तथा सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संगत दिशानिर्देशों/ विनियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित ईिक्विटी पूंजी उगाही जाएगी.
- (iv) अत: निदेशक मंडल ने विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से ₹ 1,000/- करोड़ की ईक्विटी पूंजी की उगाही करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की.
- (v) एफपीओ/राईट ईश्यू/क्यूआईपी आदि के माध्यम से पूंजी संवर्धन हेतु दिनांक 29 जून 2015 को संपन्न बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया था. सेबी विनियमों के अनुसार इस संकल्प की वैधता ऐसे क्यूआईपी हेतु 12 माह तक सीमित है. भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा फिर एक बार शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है.
- (vi) जारी ईक्विटी शेयर लाभांश सहित बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के साथ प्रत्येक मामले में समरूप रहेंगे.
- (vii) बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक की कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 1 जून 2016

स्थान : पुणे

(एस. मुहनोत) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक



Bank of Maharashtra

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005

NOTICE

Notice is hereby given that the Thirteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Wednesday, the 29th June, 2016 at 10.00 a.m at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 2

To raise capital through FPO/Rights Issue/QIP etc.,

TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, PASS, WITH OR WITHOUT MODIFICATION/S, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10 each, aggregating to not more than Rs.1,000/- crore (Rupees One Thousand Crore Only) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies- private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of public issue, rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs) or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at



a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a gualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SteBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects *paripassu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/



securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) or such other officer of the Bank or a committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

Date: 1st June, 2016 (S. Muhnot

Place: Pune Chairman & Managing Director

NOTES:

1. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. As per Regulation 70(vi) of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Notice.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of Bank of Maharashtra, addressed to General Manager (Investor Services), Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Friday**, **24**th **June 2016**.

2. Appointment of Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. **Friday, 24**th **June 2016.**

3. Attendance Slip-Cum Entry Pass Cum Ballot Paper Pass (The Attendance Slip):

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the poll to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass/ Entry Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

Shareholders, who have already exercised their votes through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the Meeting.



4. Book Closure:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Thursday, 23rd June 2016 to Wednesday, 29th June, 2016** (both days inclusive) for the purpose of 13th Annual General Meeting for the year 2015-16.

5. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013 and thereafter, no claim for payment of dividend shall lie in respect thereof either to the Bank or to IEPF.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 and 2007-08 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund". The dividend for the year 2008-09 remaining unclaimed/ unpaid will be transferred to the said fund within 90 days of the date of the ensuing Annual General Meeting.

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years (2008-09 onwards) are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Department at Pune on the following address:

MCS Share Transfer Agent Ltd., Unit: Bank of Maharashtra, Office No.002, Ground Floor, KashiramJamnadas Bldg., 5, P D'Mello Road, Masjid (East), Mumbai 400009 Tel: 020 40206022/23/24

Email: mcssta.mumbai@gmail.com

Bank of Maharashtra, Investors' Services Department, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

Tel: 020 25511360

E-mail: investor services@mahabank.co.in

6. The Board of Directors of the Bank has not recommended any dividend for the financial year 2015-16.

7. Request to Shareholders:

Please note that copies of the Annual Report 2015-16 in physical form had been dispatched separately using the services of Indian Post/ courier to those Shareholders who have not registered their email IDs with the Bank/RTA and in soft copy by email to those shareholders who have registered their email ids with the Bank/RTA. The Annual Report is also hosted on the website of the Bank, www.bankofmaharashtra.in. The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

- a) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- b) Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/Demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

8. Consolidation of Folios:

The shareholders holding shares in physical form in identical order of names under more than one folio/account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

9. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their Demat account.

10. Lodgments for Transfers:

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent.



11. Recording of change of status:

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Registrar & Transfer Agent of the Bank of:

- a. The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b. The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

12. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Regulations, each shareholder, other than Central Government, who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Wednesday, 22nd June 2016** shall have one vote in case of a evoting/poll for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda items either through remote e-voting or voting at the meeting.

13. Voting:

a) CUT-OFF DATE FOR REMOTE E-VOTING AND VOTING AT THE AGM.

Voting Rights of the shareholders in respect of agenda item shall be reckoned as on Wednesday, 22nd June 2016.

b) REMOTE E-VOTING.

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Praticing Company Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. Remote E-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the Cut – off Date may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders from 09:00 a.m. on Sunday, 26th June 2016 till 05:00 p.m. on Tuesday, 28th June 2016 and the e-voting platform will be disabled thereafter.

- I. The process and manner for remote e-voting are as under:
 - a) Follow steps to cast E-vote:
 - (i) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evotingindia.com/
 - (ii) Click on Shareholder Login
 - (iii) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
 - (iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 - (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
 - (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department
	(Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)
	Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository
	Participant are requested to use the first two letters of their name and the
	8 digits of the sequence number in the PAN field.



	In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable
	number of 0's before the number after the first two characters of the name
	in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence
	number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as
Details OR	recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login.
Date of Birth	If both the details are not recorded with the depository or company please
(DOB)	enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as
(БОВ)	mentioned in instruction (iv).

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the EVSN for the relevant **<BANK OF MAHARASHTRA** > on which you choose to vote.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiii) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvii) Note for Non - Individual Shareholders and Custodians

- a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on
- d) The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- e) A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- b) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after dispatch of the notice and is holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd June, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to Bank/RTA. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password



for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evotingindia.com or contact CDSL at the following Toll free no.: 1800-200-5533.

- d) The Portal will remain open for e-voting from 9.00 a.m. on Sunday, 26th June 2016 to 5.00 p.m. on Tuesday 28th June 2016 and will be disabled thereafter.
- e) Shareholders may visit Bank's website www.bankofmaharashtra.in Investor Services link on home page for updated e-voting instructions.

c) VOTING PROCESS AT THE AGM:

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the voting to be conducted at the venue of the AGM. Ballot Papers will be issued at the venue of the AGM.

d) SCRUTINIZERS AT AGM:

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Praticing Company Secretaries, Mumbai shall act as Scrutinizer along with another shareholder for the voting process to be conducted at the Annual General Meeting.

e) RESULTS OF EVOTING AND POLL:

The Results of the voting at the AGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT

ITEM NO. 2: TO RAISE CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS ISSUE/QIP ETC.,

- (i) As per RBI guidelines under Basel III the Bank should maintain a minimum CRAR of 11.50% of its Risk Weighted Assets, with the additional stipulation, of this minimum Common Equity Tier-1 Capital (CET-1) should be 5.50%. As per the RBI prescribed phased programme, the banks should provide every year Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% from March 2016 to March 2019 and the CCB should be in the form CET-1. For the additional requirement of CCB/CET-1 and to provide necessary capital for the annual business growth, the Bank has assessed a capital requirement of Rs. 1,000/- crore for the year ending 31st March 2017.
- (ii) The Bank had taken up this requirement with Central Government for the necessary capital support. As a backup arrangement, the Bank has also kept other options open like FPO/Rights Issue/QIP to meet this capital requirement. These options will be exercised as per the requirement and based on the prevailing market conditions.
- (iii) The equity capital as above said will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (iv) The Board of Directors has given their approval to raise an equity capital upto Rs. 1,000/- crore through the different available options and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- (v) The approval of the shareholders of the Bank was obtained in the 12th Annual General Meeting held on June 29, 2015 for raising of capital through FPO/Rights Issue/QIP etc., As per the SEBI Regulations, the validity of the resolution is restricted to twelve months for such QIPs. Keeping in view the future requirements, the approval of the shareholders is hereby sought once again.
- (vi) The equity shares issued, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
- (vii) None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of the Board of Directors

Date: 1st June, 2016

Place: Pune

(S. Muhnot)
Chairman & Managing Director





बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

फॉर्म बी प्रॉक्सी फॉर्म

विनियमों के विनियम 70 (iii) के अनुसार

(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो संख्या		डी.पी.आई.डी. क्र.		
(7	दि शेयर डी-मैट स्वरूप में नहीं है)	ग्राहक आई. डी. क्र.		
(8	॥६ शयर डा-मट स्वरूप म नहा ह)		(यदि शेयर डी-मैट स्वरूप में	है)
मैं/हम		निवा	सी	
जिला	राज्य			
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेय	रधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती			
			राज्य	को
अथवा इनके न होने पर, श्री	/श्रीमती		.निवासी	•••••
	राज्य.			
	हेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1: होने पर होने वाली बैठक में अपनी/ हमारी ओर रं			
दिनांक2016	5 को हस्ताक्षरित			
नाम:				
पताः			कृपया ₹	1/-
			का राज टिकट ल	· ·
(पॉक्सी के हस्ताक्षर)			(प्रथम नामवाले शेयरधारक/एकल	———— ग शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- 1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि-
 - क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में यह शेयरधारक के द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों.
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नाम वाले शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों.
 - ग) निगमित निकाय के मामले में लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों. यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि / अधिकार के रूप में उसकी नियुक्ति के संकल्प की एक प्रति जो कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति के रूप में संलग्न की जाए.
- 2. प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश, मॅजिस्ट्रेट या एश्योरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
- 3. प्रॉक्सी फॉर्म
 - क) मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - ख) किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार दिनांक 24 जून 2016 के समापन समय से पहले अर्थात सायं 5.00 बजे तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में जमा किया जाए.
- 4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो.
- 5. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी.
- यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता.
- 7. एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस वार्षिक साधारण बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है.
- 8. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो.
- 9. नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा.



BANK OF MAHARASHTRA

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune - 411 005.

Form B PROXY FORM

(As per Regulation 70 (iii) of The Regulations) (To be filled in and signed by the shareholders)

Regd .Folio No.		DP ID No.		
		Client ID No.		
If Sha	ares are not Dematerialised	If S	Shares are Dematerialised	
	resident(s) of			
	in the State of		•	
of Bank of Maharash	ntra, hereby appoint Shri / Smt	r	esident of	in the
district of	in the State of		OR 1	failing him/her,
Shri/Smt	resident of		in the district of	
	as my / our proxy			
	eholders of Bank of Maharashtra to be held			
•	ashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pun			p3
Signed this	2016.			
Name				
Address			Please	
			affix ₹ 1/-	
			Revenue	
			Stamp	
Signature	of Proxv	(Sign	ature of the first named/sole sh	areholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - b. In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c. In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark
 is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an
 Officer of Bank of Maharashtra.
- 3. The Proxy together with
 - a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager, Investor Services, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 05.00 P.M on Friday, the 24th June 2016.
- 4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- 8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- 9. The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र - सह - बैलट पेपर पास

अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411005 में बुधवार, 29 जून 2016 को प्रात:10.00 बजे आयोजित तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक

उपस्थिति पर्ची

(स्थल पर प्रवेश के समय सौंपा जाना है)

एतद् द्वारा मैं बैंक की तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं.

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य//प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आई डी क्र.	धारित शेयरों की संख्या
	शेयरधारक/प्रॉक्सी/	प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	— यहां से काटें — — — — — — — — — —	

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

प्रवेश पर्ची

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखे जाने हेतु)

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य//प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आई डी क्र.	धारित शेयरों की संख्या
	शेयरधारक/प्रॉक्सी/	प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किय विधिवत हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें. प्रवेश पर्ची का हिस्सा शेयरधारक तक अपने पास रखेंगे.	ा जाता है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची को है ों / प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वापस कर दिया	ठिक हॉल में प्रवेश करने के लिए जाएगा, जो इसे बैठक की समाप्ति
— — — — — % — — —	— यहां से काटें — — 🔫 — — -	

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

बैलट पेपर पास

(मतदान काउंटर पर मतपत्र प्राप्त करने के लिए वापस करें)

	<u> </u>	
स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य//प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी व ग्राहक आई डी क्र.	धारित शेयरों की संख्या
	शेयरध	गारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

Thirteenth Annual General Meeting, Wednesday, 29th June 2016 at 10.00 a.m At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal,1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

I hereby record my presence at the Thirteenth Annual General Meeting of the Bank.

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares held
	Signature of Shareholde	r/Proxy/Authorised Representativ
	— cut here — ——————————————————————————————	



BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares held
	Signature of Shareholde	er/Proxy/Authorised Representative
	3	in roxyntamonova respressinative
for admission to the meeting hall. The Entry pass p Representatives, who should retain it till the conclusion	ves are requested to produce Attendortion will be handed back to the son of the meeting.	lance-slip-cum-Entry pass duly signed
Shareholders/Proxy holders/Authorised Representation for admission to the meeting hall. The Entry pass p Representatives, who should retain it till the conclusion ————————————————————————————————————	ves are requested to produce Attendortion will be handed back to the s	lance-slip-cum-Entry pass duly signed

BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

BALLOT PAPER PASS

(To be surrendered at the Polling Counters to obtain Ballot Paper)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares held
	er/Proxy/Authorised Representative	

प्रति

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेन्ट लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस क्रमांक 002, तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग

5, पी.डिमेलो रोड (घड़ियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009 फोन: (022) 40206022/23/24 फैक्स : (022) 40206021

प्रिय महोदय,

विषय: बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा (एनईसीएस) के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प मेरे / हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स भौतिक रूप में है.

मैं / हम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान करने का अनुरोध करता हूं / करते हैं और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लाभांश को मेरे / हमारे खाते में जमा किया जाए:

1	प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम		
2	रजिस	टर्ड फोलिओ क्रमांक	
3	बैंक	खाते का विवरण	
	क	बैंक का नाम	
	ख	शाखा का नाम	
	ग	शाखा का पता	
	घ	टेलीफोन क्रमांक और फैक्स क्रमांक बैंक द्वारा जारी माईकर चेक पर अंकित बैंक और शाखा का 9 अंकों वाला माईकर कूट क्रमांक	
	ङ	खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकद ऋण, कूट क्रमांक 10/11/13 सहित)	
	च	खाता क्रमांक जैसा चेक बुक पर अंकित है *	
	छ	बैंक शाखा का आईएफएससी कूट	

(*उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना निरस्त कोरा चेक या उस निरस्त चेक की फोटोकॉपी या बैंक द्वारा जारी आपके बचत बैंक खाता पासबुक के मुख पृष्ठ (फ्रंट पेज) की फोटो कॉपी संलग्न करें)

में / हम एतदद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है. यदि कोई संव्यवहार असत्य या अपूर्ण जानकारी के कारण विलंबित या प्रभावित होता है, तो मैं /हम बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे. मैं /हम समझते हैं कि बैंक के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यदि बैंक एनईसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक के पास मुझे / हमें देय लाभांश भौतिक रूप से लाभांश वारंट के रूप भेजने का अधिकार सुरक्षित है.

भवदीय.

दिनांक :

(प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम और हस्ताक्षर)

- 1. यदि आपके पास इलेक्ट्रानिक (डी-मैट) प्रारूप में शेयर उपलब्ध हैं तो कृपया अपने बैंक का विवरण सीधे डिपॉजिटरी सहभागी को उपलब्ध कराएं.
- 2. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश के भुगतान की केंद्रीकृत प्रक्रिया को सरल बनाती है. हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि अद्यतन हेतु एनईसीएस अधिदेश सीबीएस बैंक खाता संख्या के साथ भेजें. भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारक समुचित रूप से भरा हुआ प्रारूप रिजस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को तथा डी-मैट प्रारूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारक अपना अधिदेश अपने संबंधित डिपॉजटरी सहभागी (डीपी) को भेजें.



To,

MCS Share Transfer Agent Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg., 5, P.D. Mello Road,

(Ghadiyal Godi), Masjid (East), Mumbai 400 009. Phone: (022) 40206022/23/24 Fax: (022) 40206021

Dear Sir.

Re: Equity Shares of Bank of Maharashtra - option to receive dividend through National Electronic Clearing Service (NECS) facility.

I/ We hold equity shares of Bank of Maharashtra in physical form.

I / We request you to arrange for payment of my / our dividend through NECS facility and credit the same to my / our account as per details given below:

_		
1.	. First / Sole Share holder's name	
2.	2. Registered Folio No.	
3.	B. Particulars of Bank Account	
	a. Bank Name	
	b. Branch Name	
	c. Address of the Branch	
	d. Telephone number and Fax number	
	9 - digit MICR code number of the Bank and Branch as a	ppearing on the MICR Cheques
	issued by the Bank	
	e. Account type (Savings / Current / Cash Credit with cod	e 10/11/13)
	f. Account Number as appearing on the Cheque Book*	
	g. IFSC code of the Bank Branch	

(*Please attach a cancelled blank cheque or photocopy thereof or front page of your savings bank passbook issued by the Bank for verification of the above details).

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I / We would not hold the Bank responsible. I / We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may affect the payment of dividend through NECS.

Yours faithfully,

Date

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

Notes:

- 1. In case you hold shares in electronic (Demat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository participant.
- 2. National Electronic Clearing Services (NECS) facilitates centralized processing of dividend payment. We, request all the shareholders to send NECS mandate with CBS Bank account number for updation. The Shareholders holding shares in physical form are required to send the duly filled in form to Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and Shareholders holding shares in DEMAT FORM are required to send the Mandate to their respective Depository Participant (DP).



वार्षिक साधारण बैठक स्थल पर पहुंचने हेतु रोड- मैप Route Map to Reach Venue of Annual General Meeting

स्थल: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 Location: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005





सेवा में, To			

सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं: बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

If undelivered please return to:

Bank of Maharashtra

Investors Services Department Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.



भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक